

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग


क्रमांक : प. 18(3)स्था./गृह-10/23

जयपुर, दिनांक: 29.04.2024

संशोधित आदेश

गृह (ग्रुप-10) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.04.2024 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार शाडिल्य, सहायक निदेशक अभियोजन (PCPNDT) स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को अपने पदीय कार्य के साथ-साथ न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (प्रथम), जयपुर में सहायक निदेशक अभियोजन के रिक्त पद का दायित्व सौंपा गया था।


इसमें संशोधन किया जाकर अब श्री राजेश कुमार मीना, सहायक निदेशक अभियोजन (विधिक परामर्श), द्वितीय, जयपुर महानगर अपने पदीय कार्य के साथ-साथ न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (प्रथम), जयपुर में श्री राजपाल सिंह राठौड़ के आकस्मिक निधन से रिक्त हुए सहायक निदेशक अभियोजन के पद का कार्य भी संपादित करेंगे।


(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस एसीबी।
4. मिशन डायरेक्टर, एनएचएम एवं निदेशक आई.ई.सी. स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
7. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर